अध्याय - 5
संबद्ध विधान

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949

5.1.1 सनदी लेखाकार के व्यवसाय को नियंत्रित करने तथा उक्त उद्देश्य के लिए 1949 में सनदी लेखाकार अधिनियम अधिनिगमित किया गया था । इसी उद्देश्य के लिए तदनुसार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की स्थापना जुलाई, 1949 में की गई ।

5.1.2 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का मुख्य उद्देश्य सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा लेने और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, व्यवसाय की प्रेक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, व्यवसाय के विकास के लिए गतिविधियां जारी रखना और सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानक का नियंत्रण एवं उसे बनाए रखना है । संस्थान सम्पूर्ण देश में परीक्षा आयोजित करता है, डाक/मौखिक शिक्षण मुहैया कराता है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि विद्यार्थी इस व्यवसाय के लिए अर्ह हो सके ।

5.1.3 संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो इसे सनदी लेखाकार अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए कार्यों का भी निपटान करती है । परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 24 से अनाधिक व्यक्ति होते हैं और 6 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता हैं ।

लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

5.2.1 लागत लेखा के व्यवसाय को नियंत्रित करने और उक्त उद्देश्य हेतु लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान स्थापित करने के लिए 1959 में लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम अधिनिगमित किया गया था । इस नियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान मई, 1959 में स्थापित किया गया था ।

5.2.2 लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों में आने वाले कर्तव्यों को भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपा गया है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की गई है । परिषद के संघटन में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 से अनाधिक व्यक्ति तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित 4 से अनाधिक व्यक्ति शामिल होते हैं । तदनुसार, केन्द्र सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है ।

कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980

5.3.1 कम्पनी सचिव अधिनियम, कम्पनी सचिव के व्यवसाय को नियंत्रित तथा विकसित करने और उक्त उद्देश्य से भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान को स्थापित करने के लिए 1980 में बनाया गया था । भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना जनवरी, 1981 में स्थापित की गई थी ।

5.3.2 कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का कार्य भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की परिषद, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया गया था, में निहित है । परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 व्यक्ति से कम नहीं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 4 से अनाधिक व्यक्ति होते हैं। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है ।

व्यावसायिक सेवाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों में संशोधन

5.4.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत एवं संकर्म लेखा संस्थान एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान

जैसे संस्थानों के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं । इन संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित व्यावसायिक जैसे कि सनदी लेखाकार, लागत लेखाकर तथा कंपनी सचिव व्यावसायिक निगमित निकायों को कई सेवाएं मुहैया कराते हैं और उन्हें विशेषकर नए आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है जहाँ कई कंपनियों पूंजी बाजार से निधियां जुटा रही हैं और उनके द्वारा अपने कार्य को हितबद्धों की व्यापक श्रृंखला के हित में किया जाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वातावरण में व्यावसायिक अपना कार्य उचित ध्यान देकर करें, अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हों और विश्व की अर्थ-व्यवस्था के खोले जाने से उपलब्ध नए अवसरों को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, संसद द्वारा निम्नलिखित संशोधन विधेयकों को पारित किया गया था -

(1) सनदी लेखाकार संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2) लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006

(3) कम्पनी सचिव संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006

5.4.2 संशोधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं -

(1) तीनों संस्थानों हेतु गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की स्थापना

(2) तीनों संस्थानों की परिषद में सदस्यों को नामित किया जाना

(3) तीनों संस्थानों की परिषद के चुनाव हेतु नियम

(4) तीनों संस्थानों के अधिकरण के चुनाव हेतु नियम

(5) अपीलीय प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों को देय भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें और प्राधिकरण के व्यय को पूरा करने का तरीका) नियमावली, 2006 ।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002

5.5 प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम भारत में एक प्रतिस्पर्द्धा आयोग की स्थापना की व्यवस्था करता है । तदनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग को 14 अक्तूबर, 2003 को स्थापित किया गया था । भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग के गठन के कुछ पहलुओं को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने जनवरी, 2005 में अपना निर्णय दे दिया है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने के लिए इसे प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक, 2006 के माध्यम से 9.3.2006 को संसद के समक्ष पेश किया गया था । विधेयक को गहन परीक्षण हेतु वित्त पर स्थायी समिति को सन्दर्भित किया गया था । विचार के पश्चात वित्त पर स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 12.12.2006 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी । संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में विहित सिफारिशें मंत्रालय के विचाराधीन है ।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

5.6 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में अधिनिगमित हुआ जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण की व्यवस्था करता है, जिससे ऐसी सोसायटियों से वैधानिक स्तर को सुधारा जा सके। इस अधिनियम में साहित्य विज्ञान ललितकला या उपयोगी ज्ञान की विस्तार या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित सोसायटियों को अपने संस्थान के समझौता ज्ञापन को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रस्तुत करके स्वयं पंजीकरण करवाना अपेक्षित है । अधिकतर राज्यों ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन कर लिए हैं। संबंधित राज्यों में सोसाइटी रजिस्ट्रारों द्वारा या इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों द्वारा किए गए सोसाइटी पंजीकरण को भी शामिल किया गया है ।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

5.7 भागीदारी से संबंधित विधि परिभाषित और संशोधन करने के उद्देश्य से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में अधिनिगमित किया गया था जिसमें इसके साथ-साथ भागीदारी की प्रकृति, भागीदारों के एक दूसरे के साथ और तीसरी पार्टी के साथ आपसी संबंध भी शामिल हैं। अधिनियम में इस उददेश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रारों के साथ फार्मों के पंजीकरण का भी प्रावधान है अधिनियम फार्मों को आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए संबंधित अधिकारियों के पास पंजीकरण करने हेतु अलग से उपबंध बनाता है।

कम्पनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

5.8 कम्पनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 में अधिनिगमित किया गया था। कम्पनी अधिनियम या अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के या कम्पनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में कम्पनी को दान देने योग्य बनाया है। केन्द्र सरकार ने गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि और सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक निधि को दान प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया है।